राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 322/2025

चिंगा राम मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रधौगिकी एवं संचार विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. तकनीकी निदेशक एवं पदेश संयुक्त सचिव, सूचना प्रधौगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, करौली।
4. श्री लोकेश मीणा, सहायक प्रोग्रामर जरिये तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, सूचना प्रधौगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.01.2025
आदेश की दिनांक : 28.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीताराम भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 10.01.2025 को एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार अपीलार्थी जो जिला परिवहन कार्यालय, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, करौली में सहायक प्रोग्रामर के पद पर कार्यरत है, को प्रत्यर्थी संख्या 4 को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग करौली के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। (अनुलग्नक–1) निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को सुविधा प्रदान करने के लिए, अपीलार्थी को दिनांक 10.01.2025 के आदेश के तहत स्थानांतरित कर दिया गया है। दिनांक 22.09.2023 के आदेश के अनुसार अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात जिला परिवहन कार्यालय, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, करौली में स्थानांतरित/पदस्थापित किया गया है। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी ने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर सितम्बर 2023 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अपीलार्थी को एक वर्ष और तीन महीने की अल्प अवधि में ही दिनांक 10.01.2025 के आदेश

के अनुसार वर्तमान पदस्थापन स्थान से पुनः स्थानांतरित कर दिया गया है। अपीलार्थी को एक वर्ष और तीन महीने की अल्प अवधि में ही स्थानांतरित कर दिया गया है। राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति के अनुसार किसी कर्मचारी को तब तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किसी विशेष स्थान पर दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी न कर ले। इसी आधार पर इस न्यायाधिकरण ने अलग–अलग अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों में अलग–अलग आदेशों के जरिए अल्प अवधि के आधार पर स्थानांतरण/तैनाती पर रोक लगा दी है। (अनुलग्नक–3) रामेश्वर दयाल गुर्जर बनाम राज्य के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना है कि किसी कर्मचारी को कम समय में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे राज्य के खजाने को नुकसान होता है। इस मामले में भी यही स्थिति है। हालाँकि, विद्वान न्यायाधिकरण मामले के पहलू पर विचार करने में पूरी तरह विफल रहा है और अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दिया है। अपीलार्थी ने प्रतिवादियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसके बजाय प्रतिवादी एक कदम आगे चले गए और लगभग एक वर्ष और तीन महीने की छोटी अवधि में अपीलकर्ता का स्थानांतरण कर दिया गया, हालांकि इसी तरह की स्थिति वाले व्यक्तियों के मामले में माननीय उच्च न्यायालय और इस न्यायाधिकरण ने आदेश पारित किए हैं जिसके द्वारा प्रतिवादियों को कर्मचारियों के इस प्रकार के स्थानांतरण आदेश पारित करने से रोका जाता है। इस आधार पर दिनांक 10.01.2025 के विवादित आदेश भी रद्द किये जाने योग्य हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने गिर्राज शर्मा बनाम राज्य 2002 डब्ल्यूएलसी राज। यूसी पेज 721 और सत्यनारायण बनाम राज्य डब्ल्यूएलआर 1992 राज 317 में राजनीतिक हस्तक्षेप पर आधारित स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया है। राजनीतिक हस्तक्षेप के समान सादृश्य पर, अपीलार्थी के संबंध में आरोपित आदेश रद्द और अपास्त किए जाने योग्य है। भगवान दास मित्तल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के मामले में यह भी माना गया कि दण्ड के परिणामस्वरूप कोई स्थानांतरण आदेश नहीं किया जा सकता। लगभग दो वर्ष और चार महीने के दौरान अपीलार्थी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर 4 बार स्थानांतरित किया गया है। इसी तरह का विवाद इस माननीय न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या–14637/2019 (कौशल किशोर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य) और एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या–12228/2021 (कन्हैया लाल मीना बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य) में आया था। माननीय न्यायालय ने दिनांक 01.

10.2019 और 04.09.2021 के आदेशों के माध्यम से स्थानांतरण आदेशों के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी है। (अनुलग्नक–6) निजी प्रत्यर्थी को हाल ही में सहायक प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नत किया गया था और अब जारी आदेश के तहत, उसे अपीलार्थी के अनुरोध पर उसके स्थान पर तैनात किया गया है, ताकि उसे अनुचित लाभ मिल सके।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 10.01.2025 अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को जिला परिवहन कार्यालय, परिवहन एवं सड़क विभाग, करौली में सहायक प्रोग्रामर के पद पर निरंतर कार्यरत रखा जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।

अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीताराम भाले)
अध्यक्ष